कार्यालय– मुख्य शिक्षा अधिकारी,नैनीताल।

ई–मेल आई0डी0– ceonainital11@gmail.com

सेवा में,

प्रबन्धक,
कृष्णा लर्निंग एकेडमी
चकलुवा, कोटाबाग, नैनीताल।

पत्रांक / मान्यता मा0 / 452-58 / कक्षा संचालन / 2025–26 दिनांक 11 अप्रैल 2025

विषयः– **कक्षा संचालन की अनुमति के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल के पत्रांक / मान्यता / 132(112) / 09–13 / 2024–25 दिनांक 02 अप्रैल 2025 एवं शासनादेश संख्या :387 / XXIV–4 / 2024–05(31) / 2024 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4, देहरादून, दिनांक 29 मार्च 2025 के क्रम में आपके विद्यालय को विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा–11(क) के अन्तर्गत **हाई स्कूल नवीन (अंग्रेजी माध्यम)** की वित्त विहीन मान्यता विद्यालय के रूप में परिषद की **वर्ष 2026** की हाई स्कूल नवीन **(अंग्रेजी माध्यम)** की परीक्षा से निम्नांकित विषयों की मान्यता परिषद् द्वारा लगाये गये सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के अधीन **कक्षा–9 वीं** संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

जनपद में आपका विद्यालय कोड 269 निर्धारित किया जाता है।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	अतिरिक्त विषय
हाई स्कूल नवीन **(अंग्रेजी माध्यम)**	1–हिन्दी 2–अंग्रेजी / संस्कृत 3–गणित / गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिए) 4–विज्ञान 5–सामाजिक विज्ञान 6–योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा 7–कार्यानुभव / उद्यमिता विकास 8–कला शिक्षा	09 (क) तृतीय भाषा (ख) वाणिज्य (ग) पेंटिंग (घ) संगीत (ङ) गृह विज्ञान (च) सूचना एवं प्रौद्योगिकी (छ) कृषि

भवदीय
11/4/25
(जी0आर0जायसवाल)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
नैनीताल।

पृ0सं0 / मान्यता मा0 / / कक्षा संचालन / 2024–25 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून ।
2– अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
3– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल ।
4– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी ।
5– परीक्षा अनुभाग कार्या0–मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल।

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
नैनीताल।

17. राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर माँगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. विद्यालय द्वारा गरीब छात्रों के सहायतार्थ बुक बैंक की स्थापना की जायेगी।
20. **परिशिष्ट-चार** के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
21. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती हैं तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
22. बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 उच्चतम न्यायालय तथा शासन/विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(के0एस0रावत)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
नैनीताल।

पृ0स0/ 15996-99/अंग्रेजी मान्यता/2021–22 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नाकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून
2. जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा) नैनीताल
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी कोटाबाग नैनीताल।

29/3/22
मुख्य शिक्षा अधिकारी
नैनीताल।

Department of Elementary Education
Govt. of Uttarakhand

APPENDIX-TWO
FORM-2(a)
SEE RULE 17(A) OF THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (AMENDMENT) RULES, 2013

..ail : ceonainital11@gmail.com
Phone Number : 05942-248469
Fax Number : 05942-248469

OFFICE OF CHIEF EDUCATION OFFICER Nainital, Uttarakhand
Letter No : 15996-99
Dated : 29-03-2022

To,

The Manager,
Krishna Learning Academy, Chakalua, Village - Rampur, Post Office - Chakalua, District - Nainital, State - Uttarakhand , Pin-263139
Nainital, Kaladhungi, KOTABAG, Pin-Code: 263139

Sub: Regarding issue of compliance certificate of prescribed norms and standard of the schedule of RTE Act under Rule 17(A) of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2013 for the purpose of section- 19(2) of Right of Children to Free and Compulsory Education Act,2009.

Dear Sir/Madam,

With reference to your school's declaration form received on dated 29-03-2022 I Convey the compliance certificate for prescribed norms and standards of schedule of the Act under SECTION-19(2) of the Act to your school Krishna Learning Academy, Chakalua, Village - Rampur, Post Office - Chakalua, District - Nainital, State - Uttarakhand , Pin-263139, Nainital, Kaladhungi, Pin-Code: 263139.The registration number of your school is RTE33306 in District Nainital This registration/recognition is for the period from 29-03-2022 to 29-03-2027 class Pre- Primary to Class VIII in English medium. if prescribed norms and standards of schedule of the Act are violeted in future,then action shall be taken for the withdrawal of recognition/no objection certificate according to rule-18 of Uttarakhand Right to Education rules,2011.

Your's faithfully,
Chief Education Officer
District Nainital
Uttarakhand

Scanned by TapScanner

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल

पत्रांक / 15996-99 / अंग्रेजी–मान्यता / 2021–22 दिनांक 29 मार्च, 2021

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,
कृष्णा लर्निग एकेडमी,
चकलुवा, कोटाबाग
जनपद– नैनीताल ।

विषयः– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011के नियम 17के उपनियम (5) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके ऑनलाइन आवेदन–पत्र संख्या– 33306 दिनांक 03–12–2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी / उप शिक्षा अधिकारी कोटाबाग द्वारा विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय– कृष्णा लर्निग एकेडमी चकलुवा, कोटाबाग (नैनीताल) को प्री–प्राईमरी से कक्षा 8 तक संचालन हेतु पॉच वर्षो शैक्षिक सत्र 2022–23 से शैक्षिक सत्र 2028–2029 तक अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृति शासनादेशों में प्रख्यापित नियमों/उप नियमों एवं प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी–

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा–8तक की सीमा के बाहर मान्य नही होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा,परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त क्रम संख्या–3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।
5. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता–पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे–

(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा;

(दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;

(तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी;

(चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा;

(पाँच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा;

(छः) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो तक निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे;इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी विभागीय निर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।

(सात) शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे; और

(आठ) शिक्षक, निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एव पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानो के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी की आख्यानुसार मान्यता प्रदान की जा रही है।मानकों का उल्लंधन करने पर मान्यता का प्रत्याहरण किया जा सकेगा।
   - विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल
   - कुल निर्मित क्षेत्र
   - खेल के मैदान का क्षेत्र; है
   - कक्षा–कक्षों की कुल संख्या
   - प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष; हैं
   - बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय; है
   - पेयजल की सुविधा; है
   - मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घर;
   - बाधा रहित पहुँच;
   - शिक्षण अधिगम सामग्री/खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।

11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।

13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित **मान्यता कोड संख्या–04/2021–22** है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

(2)

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में अंकित विवरण/साक्ष्य के असत्य पाये जाने पर विद्या की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) विद्यालय में अवैधानिक कक्षायें संचालित न की जाय।

नवीन पाठ्यचर्या के अन्तर्गत अनुमन्य विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	अतिरिक्त विषय
हाईस्कूल नवीन (अंग्रेजी माध्यम)	1. हिन्दी 2. अंग्रेजी/संस्कृत 3. गणित/गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिये) 4. विज्ञान 5. सामाजिक विज्ञान 6. योग आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा 7. कार्यानुभव/उद्यमिता विकास 8. कला शिक्षा	9 (क) तृतीय भाषा (ख) वाणिज्य (ग) पेंटिंग (घ) संगीत (ङ) गृह विज्ञान (च) सूचना एवं प्रौद्योगिकी (छ) कृषि

भवदीय

2/4/2025

(वी0पी0 सिमल्टी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)

पृ0सं0:— मान्यता—132(112)/ ——— /2025—26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) अपर सचिव, उत्तराखण्ड, शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—4, देहरादून।
(2) सभापति/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(3) मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
(4) मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
(5) हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग/कार्यालय प्रति।

(वी0पी0 सिमल्टी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)।

पंजीकृत

प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,
रामनगर, (नैनीताल)।

सेवा में,

प्रबन्धक,
कृष्णा लर्निंग एकेडमी
चकलुवा, कोटाबाग, नैनीताल

पत्रांकः— मान्यता—132(112)/09-13 /2025—26 दिनांक 02, अप्रैल, 2025

विषयः— हाईस्कूल नवीन (अंग्रेजी माध्यम) की परीक्षा के लिये मान्यता प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः—387/XXIV—4/2025—05(31)2024 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—4, देहरादून, दिनांकः 29 मार्च, 2025 के द्वारा आपके विद्यालय को **विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा—11(क)** के अन्तर्गत **हाईस्कूल नवीन (अंग्रेजी माध्यम)** नवीन पाठ्यचर्या के अन्तर्गत अनुमन्य विषयों की वित्त विहीन मान्यता दिये जाने की स्वीकृति का आदेश प्रदान किया गया है।

उक्त शासनादेश के कम में विद्यालय को परिषद् की **वर्ष—2026** की **हाईस्कूल नवीन (अंग्रेजी माध्यम)** नवीन पाठ्यचर्या के अन्तर्गत अनुमन्य विषयों की परीक्षा से निम्नलिखित विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ मान्यता पत्र निर्गत किया जाता है।

<u>सामान्य प्रतिबन्ध</u>

(1) इस पत्र में वर्ग/विषय की नवीन 9वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, साज—सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष, आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से मुख्य शिक्षा अधिकारी को पूर्ण रूपेण संतुष्ट करें। इसके लिये संस्थाधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2) इस आदेश पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही मुख्य शिक्षा अधिकारी से 9वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय, इसके लिये सिंगल सीटेड कुर्सी व मेज ही स्वीकार किये जायेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों में अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाय।

(6) नवीन वित्त विहीन मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि सम्बन्धित विद्यालय द्वारा भविष्य में अनुदान के लिये मांग नहीं की जायेगी तथा नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे।

2/4/2025

कृ0प0उ0

(2)

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में अंकित विवरण/साक्ष्य के असत्य पाये जाने पर विद्या की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) विद्यालय में अवैधानिक कक्षायें संचालित न की जाय।

नवीन पाठ्यचर्या के अन्तर्गत अनुमन्य विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	अतिरिक्त विषय
हाईस्कूल नवीन (अंग्रेजी माध्यम)	1. हिन्दी 2. अंग्रेजी/संस्कृत 3. गणित/गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिये) 4. विज्ञान 5. सामाजिक विज्ञान 6. योग आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा 7. कार्यानुभव/उद्यमिता विकास 8. कला शिक्षा	9 (क) तृतीय भाषा (ख) वाणिज्य (ग) पेंटिंग (घ) संगीत (ङ) गृह विज्ञान (च) सूचना एवं प्रौद्योगिकी (छ) कृषि

भवदीय

2/4/2025

(वी0पी0 सिमल्टी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)

पृ0सं0:– मान्यता–132(112)/ —— /2025–26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अपर सचिव, उत्तराखण्ड, शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4, देहरादून।
(2) सभापति/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(3) मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
(4) मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
(5) हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग/कार्यालय प्रति।

(वी0पी0 सिमल्टी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)।